Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding Monitoring Committee.

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): अध्यक्ष महोदया, दिल्ली में हम लोग पूरे देश की बातें कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट एप्वाइटेंट मोनिटरिंग कमेटी ने आतंक मचा रखा है। चारों तरफ सीलिंग की बातें होती हैं तो बहुत सारे किस्से सामने आए हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर जहां हाई कोर्ट का पूर्व में आर्डर था, उसकी अवमानना की जा रही है। रिंग रोड पर एक मार्बल मार्केट है, जिनके पास डॉक्यूमेंट हैं, पोजेशन है और उन्होंने उस जगह को खरीदी थी। जगह खरीदने के बावजूद वहां सीलिंग कमेटी पहुंच गई और मामला वापस हाई कोर्ट गया। एसडीएम से लेकर हर ऑफिसर को कहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट एप्वाइटेंट सुप्रीम कमेटी हैं, हम जो कहेंगे वह करना होगा। लाजपत नगर मार्केट का एनएनडीओ का केस है, वहां सूट मार्केट के साथ एलएनडीओ के साथ लीज डीड होनी थी, वहां भी सीलिंग कर दिया। बेसमेंट को लेकर हाई कोर्ट का जजमेंट है। कानून के मुताबिक अमेंडेड बाईलाज हैं उसमें भी उसका जिक्र है, यह वर्ष 2009 का केस है। इसके बावजूद जहां बैंक के लॉकर्स चलते हैं, ऐसी जगह भी सील करके चले गए हैं। कानून है कि पन्द्रह मीटर के अंदर आप घर बना सकते हैं। प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के जरिए एडोप्ट किया था, पिलंजी गांव में नाली, बिजली और पानी की सुविधा नहीं थी। वहां बहुत पतली गलियां हैं, वहां खुदाई करा कर जमीन के नीचे ले गए।

कुछ मकानों का नुकसान हुआ क्योंकि उनकी फाउंडेशन लो थी। जब उन्होंने मकान तोड़कर दोबारा बनवाए, 15 मीटर के दायरे के अंदर मकान बने हुए हैं। लोग अपना मकान छोड़कर किराए पर रह रहे हैं, सीलिंग कमेटी ने उनके घर सील कर दिए हैं।

मेरा निवेदन है कि एक कमीशन बैठना चाहिए। संसद की लॉ जस्टिस और पब्लिक ग्रिवेंस कमेटी को सुओ मोटु कोग्निजेंस लेकर इनके आतंक पर विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नियमानुसार चलता है, कानून के अनुसार चलता है, देश नियमानुसार चलता है। सीलिंग का प्रोसीजर होता है, सात दिन का नोटिस होता है। लोगों पर नैचुरल जस्टिस एप्लाई किए बिना, लॉज़ को एप्लाई किए बिना, without application of mind, this kind of tyranny is completely intolerable even if it is an appointed Committee. So, I seek dissolution of this Committee, which is not even obeying the law.

Thank you.

माननीय अध्यक्ष :

श्री शरद त्रिपाठी,

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

श्री ओम बिरला,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

श्री मनोज तिवारी,

डॉ. कुलमणि सामल,

श्रीमती किरण खेर और

श्रीमती माला राजलक्ष्मी शाह को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।